न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 217/2017

निर्णय दिनांक :– 14.08.2020

1. लाली देवी पत्नि श्री गोपीलाल जाति गुर्जर निवासी माताजी का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. सायर देवी पत्नि श्री रामराज गुर्जर निवासी देवपुरा कॉलोनी मालेडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रार्थियागण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पंचायत समिति देवली में आयोजित कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थियागण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 416 खसरा नम्बर 83 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम रामथला पटवार हल्का मालेडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थियागण की उक्त भूमि के अड़वा ही राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 85 रकबा 5.22 हे0 वाके ग्राम रामथला पटवार हल्का मालेडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसमें से प्रार्थीयागण काफी समय अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि में आती जाती रही है और काश्तकारी कार्य करती आ रही है, लेकिन मौके पर विधिवत् रूप से रास्ता नही होने के कारण प्रार्थियागण को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। वर्तमान में कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने उक्त राजकीय सिवायचक भूमि में कब्जा कर रखा है, जिसके कारण प्रार्थीयागण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी, की भूमि आ जा नही पा रही है। इस कारण उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थिया के पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। खेत पर दो तरफ गै0मु0 नाडी व नाडी पेटा है जिसमें पानी भरा है।, प्रार्थिया को

14.08.20

रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 265 X 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 1590 वर्गमीटर है। उक्त प्रार्थीयागण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 83 केकडी सडक से 265 मीटर दूरी पर स्थित है। वर्तमान ग्राम रामथला की डी0एल0सी0 दर 4123/– प्रति एअर है जिसकी दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 1,31936 रू0 होगी। खसरा नम्बर 83 रकबा 1.06 है0 भूमि प्रार्थियागण लाली देवी पत्नि गोपीलाल व सायर देवी पत्नि श्री रामराज गुर्जर की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीयागण खसरा नम्बर 85 रकबा 5.22 है0 किस्म बंजड सिवायचक मे रास्ता चाहती है। जिसे नासिरदा केकडी मुख्य सडक से लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते मे कोई निर्माण पेड, दिवार व अन्य कोई कीमती मकान नही है। प्रस्तावित रास्ते को अतिक्रमण कर जोत रखा है। वर्तमान में खाली है। उक्त रास्ता प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नही है। गै0म0 सिवायचक भूमि से रास्ता चाहा गया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है और प्रस्तावित रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट मौका देखकर तैयार की गई है, और रिपोर्ट उचित है। वर्तमान में ग्राम रामथला की 4534/– प्रति एअर है। डीएलसी के आधार पर 144180 रूपये बनते है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थीयागण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख. नं. 83 रकबा 1.06 है0 है। प्रार्थीयागण की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 85 रकबा 5.22 है0 है, जिसमें से प्रार्थीयागण रास्ता चाहती है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट व बहस में सिवायचक भूमि से रास्ते बाबत कोई आपति व्यक्त नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता जिसकी चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 265 मीटर अर्थात 1590 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 144180/— अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, की गई तरमीम सहित रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली